International Journal of Applied Research 2018; 4(2): 238-240

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(2): 238-240
www.allresearchjournal.com
Received: 21-12-2017
Accepted: 26-01-2018

विभा बाला
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार,
भारत

Corresponding Author:
विभा बाला
शोधार्थी, गृह विज्ञान विभाग,
ललित नारायण मिथिला
विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार,
भारत

समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते घरेलु हिंसाः एक अभिशाप

विभा बाला

सारांशः
आज महिलायें कहीं भी सुरक्षित नही है, न घर पर और न घर के बाहर। वे घर में घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या एवं लैगिंक शोषण की शिकार है तो घर के बाहर कार्यस्थल पर यौन शोषण, सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, यौन हमले, बलात्कार, अपहरण, आदि अपराधों की शिकार है। उनके विरूद्ध पारित यह अपराध समाज में उनके लिये भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित करते है जो उनके स्वतंत्र बर्हिगमन को बाधित करता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि महिलायें इन अपराधों की शिकार सिर्फ इसलिये होती है क्योकि वे महिलायें है। महिलाओं के विरूद्ध पारित ये विशिष्ट लिंग आधारित अपराध उनके विकास एवं सशक्तिकरण को बाधित करते है क्योंकि इनसे समाज में भय और असुरक्षा का माहौल निर्मित होता है।

प्रस्तावनाः
अपराध सामाजिक अव्यवस्था एवं विचलन का कारक है और यही अपराध जब लिंग विशेष के विरूद्ध पारित होता है तब इसके परिणाम और भी अधिक भयंकर होते हैं। लिंग आधारित अपराध इस बात का द्योतक है कि महिलाएँ एक सहज एवं सरल शिकार है जिनका आसानी से उत्पीड़न किया जा सकता है एवं इसमें खतरा भी कम है क्योंकि इन्हें असहाय एवं निर्बल माना जाता है। जिसका कारण सामाजिक मान्यताएँ एवं अप्रभावी विधिक व्यवस्थाएँ हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं के विरूद्ध पारित लिंग आधारित अपराधों में निरंतर वृद्धि जारी है।
आज महिलाओं के जीवन में अनेक समस्यायें हर समय किसी न किसी रूप से उन्हें आक्रान्त करती हैं। महिलाओं के साथ समस्याओं का पूरे जीवन भर विभिन्न रूपों में साथ बना रहता है। अधिकांश परिवारों में कन्या के जन्म को ठीक नहीं माना जाता। अगर पहली संतान के रूप में कन्या का जन्म होता है तो पहली संतान के समय होने वाली खुशी आधी ही रह जाती है, इसके विपरीत अगर संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हो तो यही खुशी कई गुणा बढ़ जाती है। कन्या को जन्म के समय से ही बोझ मान लिया जाता है।
बेटा जैसे–जैसे बड़ा होने लगता है, वैसे ही माता–पिता को यह आशा होने लगती है कि वह पिता के साथ काम करके अथवा नौकरी आदि द्वारा धन अर्जित करके घर की स्थिति को और भी अधिक मजबूत करेगा। बेटी जैसे–जैसे बड़ी होने लगती है, वैसे–वैसे ही माता–पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। शादी के खर्च तथा दिये जाने वाले दहेज की व्यवस्था के बारे में सोच–सोच कर उनकी रातों की नींद उड़ने लगती है। बेटे की शादी के बाद माँ को सास के रूप में बहू पर राज करने का सुख मिलने की उमंग होती है, वहीं शादी के बाद बेटी की विदाई पर कलेजा फटने को होने लगता है।
विवाह के बाद भी उस पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है। अगर पत्नी अपने किसी परिचित से हंस कर बात कर ले तो पति के दिमाग में अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होने लगते हैं। अगर वह कहीं नौकरी करती है तो पति के दिमाग में हमेशा यह शक बना रहता है कि कहीं उसके सम्बन्ध अन्य पुरुष के साथ तो नहीं बन रहे? हालांकि इस शक की अभिव्यक्ति अधिकांश पुरुष के साथ हंसते–बोलते देखकर उनके व्यवहार में तुरन्त परिवर्तन आने लगता है। जिस दिन इस प्रकार की घटना पति देख लेता है तो वह पत्नी पर कोई आरोप तो नहीं लगाता किन्तु उसके प्रति व्यवहार में आक्रोश साफ झलकता है।
इसके अलावा अनेक प्रकार की ऐसी समस्या का भी स्त्री को सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी किसी प्रकार की गलती नहीं होती है किन्तु फिर भी उसे प्रताड़ना मिलती है। अगर एक स्त्री समय पर संतान को जन्म नहीं देती तो पूरी तरह से उसी को दोषी मान लिया जाता है। अगर संतानहीनता की स्थिति लम्बे समय तक बनी रहती है तो उसे बाँझ मान कर ससुराल वाले उसके पति की दूसरी शादी के बारे में विचार करने लगते हैं। अगर संतान के रूप में कन्या का जन्म होता है तो इसके लिये भी उसी को दोषी मान लिया जाता है।

पुत्र प्राप्ति की चाह में यदि एक–दो कन्याओं का जन्म और हो जाता है तो फिर घर में उसकी स्थिति निरन्तर दयनीय होने लगती है। हालांकि सभी परिवारों में ऐसा नहीं होता किन्तु अधिकांश परिवारों में ऐसा ही होता है। उपरोक्त स्थितियों में दोष केवल स्त्री का ही होता है, यह धारणा गलत है। संतानहीनता की स्थिति पुरुष के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। अगर शारीरिक रूप से एक स्त्री संतान को जन्म देने में सक्षम हैं, किन्तु पुरूष सक्षम नहीं हैं, तो संतान का जन्म कैसे हो सकता है। इसके लिए हमेशा केवल स्त्री को ही दोष देकर प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए पुरुष को दोषी नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से पुत्र संतान की स्थिति में भी स्त्री का कोई दोष नहीं होता। अगर बार–बार कन्या का जन्म होता है तो इसके लिए केवल पुरुष ही उत्तरदायी होता है। इस बारे में अधिकांश लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है, इसलिए इसका दोष भी स्त्री को ही दिया जाता है। तो पति इस सत्य को जानते हैं, वे भी सबके सामने वास्तविकता को स्वीकार करने का साहस नहीं दिखा पाते हैं।

जितनी समस्याएँ स्त्रियों के सामने आती हैं, उतनी किसी भी अन्य प्राणी पर नहीं आती। सम्भवतः इसका कारण यह हो सकता है कि स्त्री के सामने पीछे लौटने का विकल्प नहीं होता है। वैसे देखा जाये तो स्त्री के दो–दो घर होते हैं किन्तु दोनों ही घरों में उसे पराये घर की समझा जाता है। विवाह होने तक वह अपने पिता के घर रहती है, वहीं उसका घर होता है किन्तु जब वह युवा होने लगती है तो माता–पिता द्वारा उसे बार–बार यह बताया जाने लगता है कि यह घर उसका नहीं है क्योंकि शादी के बाद उसे अपने ससुराल चले जाना है। इसलिये ससुराल ही उसका घर है। समय पर उसकी शादी हो जाती है। तब उसे लगता है कि वह अपने घर आ गई है किन्तु यहाँ भी उसे पराये घर की समझा जाता है। अक्सर तनाव, तकरार तथा किसी भी प्रकार की कलह होने पर उसे स्पष्ट ताना दिया जाता है कि यह घर उसका नहीं है, यह तो पराये घर से आयी है। ससुराल में उसे इस तरह के चाहे जितने ताने मिलें, चाहे जितनी परेशानियाँ आयें, वह इस घर को छोड़ने की स्थिति में नहीं होती है। उसकी शादी करके विदा करते समय उसके माता–पिता द्वारा उसे समझाया जाता है कि हँसी–खुशी में वह कभी भी मायके आये, किन्तु पति से अथवा सास–ससुर से झगड़ा करके कभी नहीं आये। अनेक अवसरों पर उसे यह भी सुनने को मिलता है कि पिता के घर से उसकी डोली जाती है और पति के घर से अर्थी निकलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पति के घर में ही उसको मोक्ष प्राप्ति तक अपना जीवन व्यतीत करना होता है। इसलिये किसी भी विपरीत स्थिति में अथवा किसी भी समस्या में उसके सामने पलायन करने का कोई रास्ता शेष नहीं बचता है। इस स्थिति को पति के साथ–साथ सास–ससुर आदि भी जानते हैं, इसलिए अक्सर उसे विभिन्न कारणों से परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। स्त्री भी मन ही मन यह स्वीकार कर लेती है कि अब इसी घर में ही उसे रहना है। जब पूरा जीवन ही यहाँ बिताना है तो इस घर को अपना ही बनाकर रहना होगा। यह एक बहुत बड़ा कारण है कि कई बार वह अनेक प्रकार की प्रताड़नायें सहते हुए भी ससुराल के सम्मान को बनाये रखने के लिये किसी को कुछ नहीं कहती है।

भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में बहुत ही विवादास्पद धारणाएँ पाई जाती है। वैदिककाल से आज तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत उतार–चढ़ाव आए हैं। समाज में कभी उन्हें 'लक्ष्मी' 'सरस्वती' और 'दुर्गा' के रूप में धन, ज्ञान और शांति का प्रतीक माना गया तो कभी दमन और शोषण के संकेतात्मक स्वरूप में घर की दासी, पुरूषों के पैरों की जूती, बच्चा पैदा करने वाली मशीन और पराधीन रखने योग्य बताया गया। स्त्रियों की स्थिति के इस उतार चढ़ाव युक्त विभिन्न पहलुओं के संबंध में विद्वानों द्वारा कई अध्ययन किये गये है।

रायजादा अजीत (2000) ने अपने अध्ययन महिला उत्पीड़न समस्या और समाधान में पाया कि महिलाओं के विरूद्ध यौन हिंसा अपराध की गंभीरता व संवदेनशीलता का समुचित प्रदर्शन करता है। इस यौन शोषण की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि भुक्तभोगी शारीरिक कष्ट के साथ–साथ मानसिक यंत्रणा का दारूण दुख भोगने को विवश हो उठती है, जबकि वह पूरी तरह से निर्दोष होती है।

श्रीमती सिन्हा आशा (2003) ने अपने एक अध्ययन में पाया कि स्त्रियों के विरूद्ध घरेलू हिंसा में विभिन्न वर्गों, जातियों एवं धर्मों का प्रभाव भी पड़ता है। सामाजिक पारिवारिक स्थिति का उनकी पीढ़ियों पर भी असर होता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष में उन्होंने तीन पीढ़ियों का अध्ययन किया और पाया कि बच्चे जो देखते है उनका अनुसरण करते है पिता जब उनकी माँ को मारते गालियाँ देते, ठीक उसी प्रकार बच्चा अपने खिलौने (गुड़िया) के साथ तोड़ फोड़ करता है।

श्रीमती हॉटे (1948) ने अपने अध्ययन में पाया कि भारतीय नारी की स्थिति दयनीय है, उसका मुख्य कार्य घर का कामकाज, बच्चों का पालन–पोषण करना है। महिलाओं का सम्पूर्ण जीवन पुरूषों की दया पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार – अप्रैल 2001 और मार्च 2002 के बीच दिल्ली में 741 और उत्तरप्रदेश से 1748 ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें महिलाओं के साथ विवाहित जीवन में जबरन सहवास, छेड़खानी, यौन हिंसा का प्रयास जैसे मामले सामने आये है।

गृह मंत्रालय अपराध अभिलेख ब्यूरो की रिपोर्ट (2002) के अनुसार सन् 2001 में सम्पूर्ण देश में अपहरण की घटनाओं में अधिकांश किशोरियाँ ही थीं तथा दूसरे नंबर पर महिलाएँ इसका शिकार हुई हैं। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में केवल अत्याचारी का रूप एवं नाम ही बदलता है अत्याचार का रूप वही रहता है। अगर महिलाएँ कामकाजी हैं तो कार्यस्थल पर तथा गृहणी हैं, तो घर परिवार में यौन शोषण और हिंसा की चपेट में आती हैं।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की रिपोर्ट (2004) में भारत में प्रतिदिन महिलाओं के हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है हर 26वें मिनट में एक महिला का उत्पीड़न तथा 34वें मिनट में यौन उत्पीड़न व 43वें मिनट में महिला का अपहरण होता है 93वें मिनट में एक महिला दहेज के लिए जलाकर मार दी जाती है। पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर हिंसा के मामलों में पिछले दो सालों में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2004 में महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के 55439 मामले दर्ज हुए जिनकी संख्या वर्ष 2003 में 50 हजार थी।

आज आवश्यकता है कि महिला संबंधी कानूनों का संवेदनशीलता एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाये, न्यायालयी प्रक्रिया को सरल बनाया जाये, वादों के निराकरण की समय सीमा तय की जाये, महिला पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में बढ़ोत्तरी की जाये, खुफिया तंत्र को पुख्ता किया जाये तभी हम महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम प्रभावी रूप से सुनिश्चित कर सकेगे।

आज दुनिया भर में महिला विकास की चर्चा है, इस विषय पर सेमिनार, कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं और कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि दुनिया भर के संसाधन आज महिला विकास को ही समर्पित है। ठीक है कि महिलाओं का कुछ विकास हुआ है लेकिन यह पूरा सच नहीं है। कुछ लोगों का भ्रम हो सकता है कि आज महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया है लेकिन यह तस्वीर का एक रूख है जो वास्तविकता से बेहद दूर है। तस्वीर का दूसरा रूख कहीं अधिक स्याह कहीं अधिक निराशाजनक है।

निष्कर्षः

आज भारत में स्त्रियों की अस्वभाविक मृत्यु दर निरन्तर बढ़ रही है। यह एक राष्ट्रव्यापी समस्या है और पिछले कुछ वर्षों से इसके अपराधों में जो वृद्धि हुई है वह अपने आप में चिन्ताजनक है। महिलायें जो देश का अर्ध भाग है, देश की विकास की प्रक्रिया में भाग लेना तो दूर वरन रूढ़ियों से उपेक्षित रही है और आज भी बहुत सीमा पर उपेक्षित है। इसका प्रमाण हमें दिन–प्रतिदिन समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से महिलाओं का उत्पीड़न तथा उनकी अस्वभाविक मृत्यु की घटनाओं से मिलता है। यद्यपि अनेक कानूनों के माध्यम से उक्त अपराधों को रोकने का प्रयास किया गया परन्तु अपराधों की संख्या में जिन तीव्रता से वृद्धि हो रही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त समस्या का समाधान करने में केवल कानून सक्षम नहीं है। अतः उपरोक्त शोध–आलेख से प्रेरित होकर यदि इस तुच्छ प्रयास से महिला उत्पीड़न तथा अपराधों में लेश मात्र भी अंतर आया तो उसका यह अथक प्रयास सफल हो सकेगा ऐसा विश्वास है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. महिला आयोग की रिपोर्ट दैनिक भास्कर, इंदौर से प्रकाशित (2006)
2. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित अंक सिटी भास्कर, इंदौर से प्रकाशित (2006)
3. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की रिपोर्ट नव भारत टाइम्स, इंदौर से प्रकाशित (2004)
4. डॉ. गंभीर विजय–अप्रकाशित शोध–प्रबंध महिलाओं के विरूद्ध अपराध जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश (2000)
5. विश्व स्वास्थ संगठन की रिपोर्ट वसुदेव शैकाली रेणुकाक मैथड (2002) बलात्कार इंडिया टुडे (हिन्दी) नई दिल्ली।
6. यूरोपीय परिषद के हवाले ''स्टॉप अगेंस्ट वूमेन'' नई दुनिया, इंदौर से प्रकाशित (2009)
7. अंसारी नियाज– महिला सशक्तीकरण वादे और क्रियान्वयन (2002)
8. चन्द्रभान का शोध–पत्र ''महिला घरेलू हिंसा" (2001)
9. श्रीमती सिंह आशा शोध–पत्र महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा का विभिन्न जातियों में प्रभाव (2003)
10. श्रीमती यादव सुनीता शोध–पत्र घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रति प्रतिक्रिया (2007)
11. सेठ मीरा – ''शोध–पत्र" "महिलाओं को सशक्त बनाना" (2001)
12. डॉ. मंजुलता – "अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न" अर्जुन पब्लिशर्स हाऊस, नई दिल्ली, 2004
13. प्रो. खण्डेला मनचन्द्र– महिला उत्पीड़न क्वाइटर, पब्लिशर्स, जयपुर (2004)